कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

पत्र संख्या– 808/N-8/G/2022-23 दिनांक– 28/01/23

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
इण्डिया गेट के पास, नई दिल्ली–110001

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में पत्र संख्या–595/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक–21.10.2022 के माध्यम से ईंट उद्योग को अपना पक्ष रखने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में ईंट उद्योग द्वारा प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रेषित किया गया है। अग्रेतर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांक–21.10.2022 द्वारा गठित चार सदस्यीय संयुक्त कमेटी द्वारा श्री महेश कुमार के प्रेषित शिकायती पत्र में ईंट भट्ठा के विरूद्ध दिए गए बिन्दुओं एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों की जांच की गयी। संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्यानुसार शिकायत में उल्लिखित बिन्दु ईंट भट्ठा स्थापना हेतु (स्थल मापदण्ड नियमावली) वर्ष–2012 के अनुसार हैं जबकि ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष–1998–99 में तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप की गयी थी। अतः उक्त ईंट भट्ठे पर वर्ष–2012 ईंट भट्ठा स्थापना हेतु (स्थल मापदण्ड नियमावली) में प्रख्यापित नियमावली प्रभावी नहीं है।

अवगत हों कि उक्त ईंट भट्ठे को पूर्व में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति (वायु) 31.12.2014 तक की अवधि हेतु निर्गत की गयी थी जिसकी अवधि समाप्त होने के पश्चात ईंट भट्ठे द्वारा पुनः सहमति प्राप्त नहीं की गयी। सहमति प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच19656/सी–5/ईंट–17/18/3 दिनांक–10.05.2018 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया। जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के दृष्टिगत राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच63463/सी–5/सा0–546/21/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत किया गया जिसके अनुपालन में ईंट भट्ठा वर्तमान में बन्द पाया गया। अग्रेतर ईंट भट्ठे के स्थलीय निरीक्षण दिनांक–09.01.2023 के दौरान स्थानीय निवासियों से ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में पूंछतांछ की गयी। पूंछतांछ के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा भी भट्ठे का गत वर्षों से संचालित नहीं होना अवगत कराया गया।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता श्री महेश कुमार को शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु पत्र संख्या–678/एन–8/जी/2022–23 दिनांक–05.12.2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था। तत्क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा पत्र प्राप्त करने से इन्कार करते हुए पत्र को वापस कर दिया गया है। अग्रेतर ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में संचालन निषेधित करने एवं लगातार सतर्क दृष्टि रखने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में उक्त ईंट भट्ठा सक्षम प्राधिकार प्राप्त किए बिना संचालित न होने पाये।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
28/1/23
(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

माननीय राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में दिनांक 10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में गठित समिति की जांच आख्या।

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश का सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023. ...."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली द्वारा पत्र संख्या–594/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक–21.10.2022 के माध्यम से अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने निम्नानुसार समिति का गठन किया है–

1. उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।
2. श्री सुभाष चन्द्र यादव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, जनपद–रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली।
4. जिला खान अधिकारी, जनपद–रायबरेली।

उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली के विरूद्ध मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का शिकायती आवेदन में उल्लिखित बिन्दुओं पर संयुक्त कमेटी द्वारा जांच की गयी। गठित समिति की आख्या का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है–

1. मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, रायबरेली का अक्षांश–26.132755 एवं देशान्तर–80.779456 है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार आवासीय क्षेत्र में 20 कच्चे या पक्के घर हो एवं जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों की हो उससे 01 किमी0 दूर ही ईंट भट्ठे का संचालन होगा, जबकि पास में ही ग्राम हरकिशुन खेड़ा एवं गॉव कोरवा है जिनकी दोनों गॉव की जनसंख्या मिलाकर 300 से अधिक है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि उक्त ईंट भट्ठा वर्ष 1998–99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी से 200 मीटर के अन्दर ईंट भट्ठे की स्थापना अनुमन्य नहीं था। शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान में प्रचलित उ0प्र0 ईंट भट्ठा

(स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 का उल्लेख किया गया है। जिसमें आबादी से दूरी **''आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जाएगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100–150 व्यक्तियों का हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।''** उक्त गाईड लाईन के अनुसार **''कोई ईंट भट्ठा जो पूर्व में स्थापित/प्रचलन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूशण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है। यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तो का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।''**

3. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल आदि के 01 किमी0 की परिधि में नहीं संचालित होना चाहिए जबकि ईंट भट्ठे के कैम्पस में ही रामगंगा महाविद्यालय संचालित है एवं ईंट भट्ठे के बगल 200 मीटर दूर प्राथमिक विद्यालय एवं ए0एन0एम0 सेन्टर कोरवा है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि **उक्त ईंट भट्ठा वर्ष 1998–99 में स्थापित किया गया है तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन के अनुसार आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय से 200 मीटर के अन्दर ईंट भट्ठे की स्थापना अनुमन्य नहीं था तथा माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक–19.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिए गए निरीक्षण आख्या के अनुसार पूरब दिशा में 200 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कोरवा एवं 250 मीटर की दूरी पर ए0एन0एम0 सेन्टर तथा उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर ग्राम हरकिशुन खेड़ा स्थित है। पूरब दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर रामगंगा महाविद्यालय का नवीन भवन का निर्माण किया गया है। रामगंगा महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र सं0–526/एन–42/आर/2022–23 दिनांक 26.09.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।**

4. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईंट भट्ठा लोक निर्माण विभाग की सड़क को 100 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जबकि उक्त ईंट भट्ठा 100 मीटर के अन्दर ही स्थापित है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि **तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन की उपविधि के सं0–2(ब) के अनुसार सार्वजनिक, राष्ट्रीय तथा राजमार्ग के मध्य से 50 मीटर, अन्य मार्गो के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया जाएगा।**

5. शिकायतकर्ता के अनुसार कोई भी ईंट भट्ठा आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) के 800 मीटर (प्रत्येक दिशा में) के अन्दर स्थापित नहीं होना चाहिए जबकि इस दूरी के भीतर एक एकड़ से अधिक क्षेत्र में फलदार वृक्षों का बगीचा है जोकि रोड के बगल पूरे पाण्डेय वाया भोजपुर मार्ग है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक–19.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या के अनुसार **"ईट भट्ठा के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ लगभग 30 आम, कटहल, सागौन, नीम आदि प्रजातियों के अन्य वृक्ष लगे हुए पाए गए। पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कटहल आदि वृक्षों का मिश्रित बगीचा पाया गया। जिला पंचायत की उपविधि के सं0–2(स) (1) के अनुसार आम के बाग से पूर्व–पश्चिम दिशा में ईंट भट्ठों की दूरी 1.5 किमी0 से कम नहीं होना चाहिए। उत्तर–दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा उपविधि सं0–2(स) (2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम देशी या कलमी बागों पर लागू होगी जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई बागों का संयुक्त रूप से 2.5 एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जाएगा, जो एक दूसरे मिले हों।**

6. शिकायतकर्ता के अनुसार तत्कालिक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए 3 मीटर की ऊँचाई की एक दीवार का निर्माण किया जना चाहिए जबकि ऐसा नहीं किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि **तत्समय प्रचलित जिला पंचायत की गाईड लाईन में दीवार के निर्माण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 द्वारा ईंट भट्ठों की स्थापना, संचालन एवं विद्यमान ईंट भट्ठों के संबंध में जारी निर्देश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र सं0–488/एन–42/आर/2022–23 दिनांक 07.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा ईंट भट्ठे को नोटिस प्रेषित किया गया है।**

7. शिकायतकर्ता के अनुसार ईटों की पथाई के लिए एतदर्थ चिन्हित क्षेत्रों में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खडी कटाई न की जाए अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिए जिससे कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो जबकि ईंट भट्ठा मालिक द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से विगत लगभग एक दशक से लगभग 75 एकड़ जमीन में तीन मीटर से अधिक गहरी सीधी खड़ी खुदाई कराई गई जिसकी न ही पर्यावरण विभाग की अनुमति ली गई है एवं न ही खनन विभाग की, पूरा क्षेत्र वीरान होता जा रहा एवं तालाब रूप में परिवर्तित हो गया है। खुदाई करायी जा रही जमीन की लोकेशन इस प्रकार है:–

(क) ईंट भट्ठे के बगल पश्चिम दिशाा में सुखनन्दन पुत्र कुल्हण के खेत में हाईटेंशन बिजली लाईन के पास।

(ख) श्रीकान्त पाण्डेय के खेत में विशायकपुर खसरा संख्या–91

(ग) आजाद नगर, विशायकपुर के पास घून तिवारी के बगीचे में।

उपरोक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.2022 को किए गए संयुक्त कमेटी की जॉच में ईंट भट्ठे के आस–पास के भूखण्डों में लगभग 02 मीटर की खुदाई हुई पाई गई। उक्त का उल्लेख संयुक्त कमेटी की जॉच आख्या में भी किया गया है। कृपया अवगत हों कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 के पत्र सं0–446/81–7–2020–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 01.05.2020 के माध्यम से ईंट भट्ठों को खुदाई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट प्रदान की गई है तथा खनन के उपरान्त उत्पन्न गढ्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होने की बाध्यता की गई है।

- विगत सत्र में ईंट भट्ठे के संचालन अवधि के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र सं0–492/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक 09.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से वाणिज्यकर विभाग, जिला पंचायत एवं जिला खनन अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया।
- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रायबरेली के पत्र सं0–161(2)/जि0पं0/ 2022–23 दिनांक 20.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे को वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 तक अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है तथा 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में कार्यालय द्वारा कोई अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है।
- उपायुक्त राज्य कर, खण्ड–2, रायबरेली के पत्र सं0–251(1)/कार्य0उपा0/रा0क0/खण्ड–2/रायबरेली/सूचना दिनांक 16.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय पोर्टल के अनुसार ईंट भट्ठा का संचालन भट्ठा संमाधान वर्ष 2012–13 (01.10.2012 से 30.09.2013) तक ही किया गया है। इसके उपरान्त ईंट भट्ठा से संबंधित कोई निर्माण, खरीद–बिकी कर कार्य प्रदर्शित नहीं किया गया है।
- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के कम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र सं0–491/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक 09.09.2022 एवं जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0–514/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक 19.09.2022 के माध्यम से मै0 नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम कोरवा, पो0 बिठुली, भोजपुर, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली को अपना पक्ष एक सप्ताह के अन्दर आख्या

प्रस्तुत करने हेतु शिकायतकर्ता की शिकायत एवं पूर्व में गठित समिति की निरीक्षण आख्या की प्रति प्रेषित की गई, जिसके क्रम में ईंट उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अपना प्रतिउत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली एवं जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली को प्रेषित किया गया है।

- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2022 के क्रम में एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 का अनुपालन कराए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र सं0–522 / एन–8 / जी / आर / 2022–23 दिनांक 22.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तह0–लालगंज, रायबरेली को संचालन निषेधित होने का सत्यापन करने एवं लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।
- पुनः माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के पत्र संख्या–595 / एन–8 / जी / आर / 2022–23 दिनांक–21.10.2022 एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या–599 / एन–8 / जी / आर / 2022–23 दिनांक–28.10.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से ईंट उद्योग को पुनः पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत ईंट भट्ठा जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप वर्ष 1998–99 में स्थापित कर संचालित किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के नियमों के अन्तर्गत शिकायत की गई है। वर्तमान में ईंट भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन में बन्द है।

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा) क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली	(मनीष यादव) जिला खान अधिकारी रायबरेली	(अजीत प्रताप सिंह) उप जिलाधिकारी तह0–लालगंज, रायबरेली	(सुभाष चन्द्र यादव) अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जनपद–रायबरेली

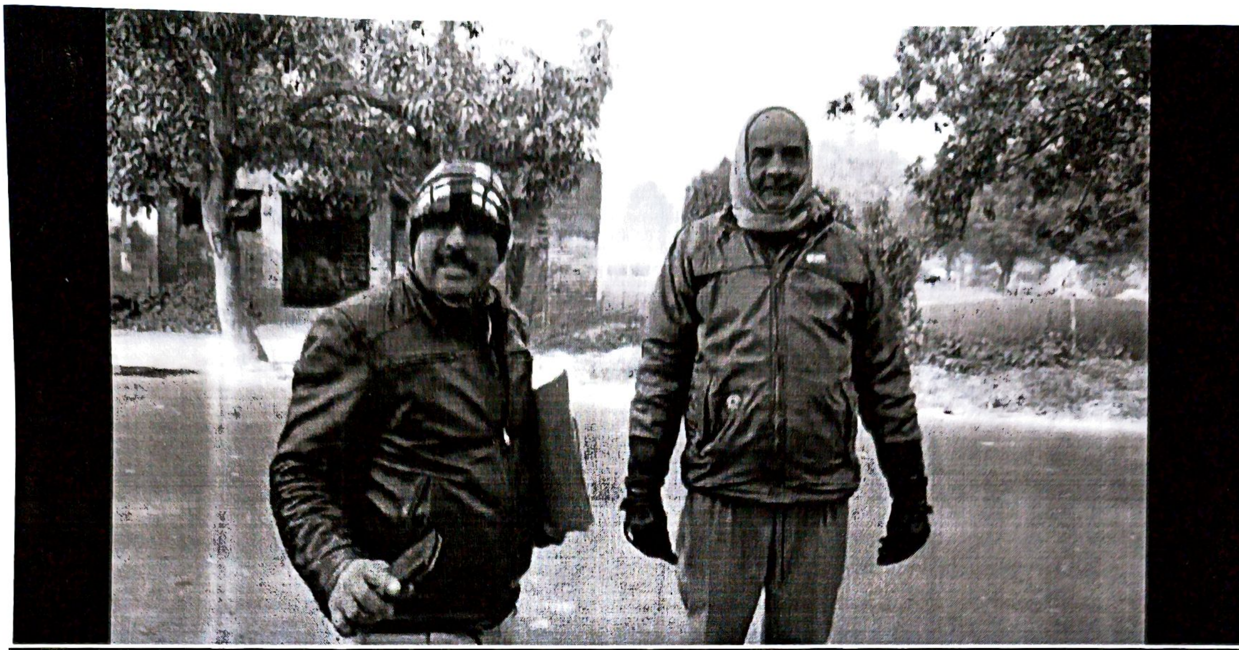

स्थानीय निवासी श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी

स्थानीय निवासी श्री कल्लू पासवान

स्थानीय निवासी श्री अरूण बाजपेई

स्थानीय निवासी श्री राधा मोहन शुक्ला

स्थानीय निवासी श्री अनुराग तिवारी

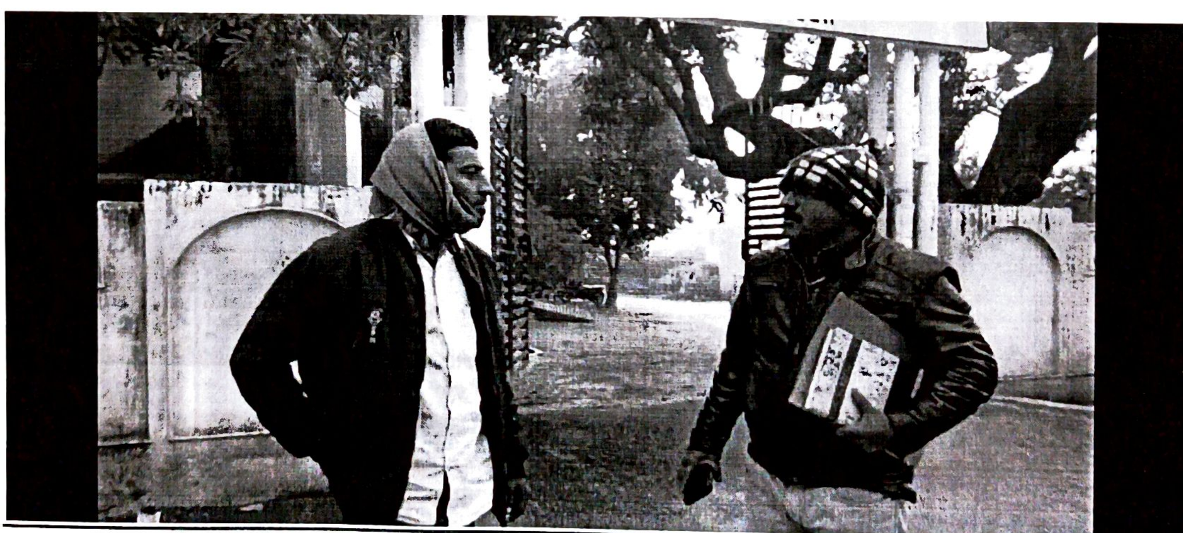

स्थानीय निवासी श्री सुधीर शुक्ला

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली

दिनांक- 05/12/2022

पत्र संख्या- 678/N-8/G/2022-23

सेवा में,

श्री महेश कुमार
ग्राम-भोजपुर, वि0खं0 व थाना-सरेनी,
तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आप द्वारा मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम-कोरवा, पो0-विदूली, भोजपुर, तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है। जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली द्वारा शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु याचिकाकर्ता को अवसर दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में सन्दर्भित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के निर्देशानुसार पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को वस्तुस्थिति से ससमय अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कुमार)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)

प्रतिलिपिः- निम्न लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-रायबरेली।
2. उप जिलाधिकारी, लालगंज, जनपद-रायबरेली को इस आशय से कि उपरोक्त का तामीला तहसीलदार, डलमऊ के माध्यम से कराने हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
4. जिला खान अधिकारी, जनपद-रायबरेली।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला-पंचायत, जनपद-रायबरेली।

05.12.2022

अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या– 575/N-8/G/R/2022-23 दिनांक–21/10/22

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023. ...."

उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली की आख्या दिनांक–09.09.2022 के अनुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक–16.08.2022 के अनुपालनार्थ आपको पत्र संख्या–514/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक–19.09.2022 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में मे प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई–मेल–judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
2. उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
4. जिला खान अधिकारी, जनपद–रायबरेली।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला–पंचायत, जनपद–रायबरेली।

जिलाधिकारी, रायबरेली

कार्यालय जिलाधिकारी रायबरेली
(खनिज विभाग)

पत्रांक–5138/ईट–भट्ठा/2022 दिनाक–29 सितम्बर, 2022

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी
रायबरेली।

महोदय,

कपया आपके कार्यालय के पत्र सं0 492/N-8/G/R/2022-23 दिनांक 09.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमें मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा,पोस्ट–बिठुली, भोजपुर तहसील–लालगंज के विरूद्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे0 योजित वाद ओ0 ए0 सं0 350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के सम्बंध में उक्त फर्म के द्वारा वर्ष 2015 से 2022 के मध्य ईट भट्ठा संचालन के सम्बंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड के नाम से दो ईंट भट्टे 23 पाये के संचालित हैं, जो कि क्रमशः मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,पूरेलालू, बेनीमाधवगंज, रायबरेली तथा मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा,पोस्ट–बिठुली, भोजपुर तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली है। कार्यालय धारित अभिलेखों में उपरोक्त दोनों भट्टों के भट्टा स्वामी श्री संतोष कुमार वाजपेयी पुत्र स्व० रामदत्त वाजपेयी, नि० कोरवा दूलापुर लालगंज,रायबरेली के नाम से अभिलेखों में अंकित है।

उक्त दोनों ईंट भट्टों के नाम से भट्टा सत्र 2014–15 से 2021–22 तक की रायल्टी / विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया। इस हेतु कार्यालय द्वारा नोटिस पत्र संख्या–4461/ नोटिस–ईंट भट्टा/ 2021 दिनांक–01.12.2021 एवं संख्या–4643/नोटिस–ईंट भट्टा/2021–22 दिनांक–22.01.2022 माध्यम से विनियमन शुल्क जमा किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

इस सम्बंध में श्री कृष्ण मोहन वाजपेयी पुत्र स्व0 संतोष कुमार वाजपेयी द्वारा दिनांक 30.05.2022 को जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर यह बताया गया कि प्रार्थी के पिता स्व0 संतोष कुमार वाजपेयी द्वारा ईट–भट्टे का संचालन किया जाता था। जिनकी मृत्यु 2020 में हो चुकी है। प्रार्थी के माँ द्वारा नारायण ईट उद्योग के नाम से भट्टा अभी शुरू किया गया है।

Myadav
M.O.

प्रार्थी द्वारा सत्र 2021–22 का नारायण ईट उद्योग के नाम से विनियमन शुल्क जमा करने का अनुरोध किया गया तथा अवशेष रायल्टी जमा करने हेतु एक अवसर प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया ।

मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पोस्ट–बिठुली, भोजपुर तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली द्वारा दिनांक–01.06.2022 को भट्ठा सत्र 2021–22 का विनियमन शुल्क मय ब्याज सहित मु0 1,78,256/– रूपये खनन विभाग के लेखा शीर्षक में चालान संख्या–F100102 जमा कराया गया।

तदोपरान्त काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इनके द्वारा विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया, जिस कारण इस कार्यालय द्वारा मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पोस्ट–बिठुली, भोजपुर तहसील–लालगंज, जिला–रायबरेली के विरुद्ध भट्टा सत्र 2015–16 से 2020–21 तक एवं मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, पूरे लालू, बेनीमाधवगंज, रायबरेली के विरुद्ध भट्टा सत्र 2015–16 से 2021–22 तक की वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

Myadav 29/09/22

(मनीष यादव)
खान अधिकारी,रायबरेली

कार्यालय उपजिलाधिकारी लालगंज रायबरेली।

सन्दर्भ 60000220004452 / आई0जी0आर0एस0 / एल0डी0 एस0डी0एम0–जांच / 21 दिनांक 28 जनवरी 2021

जिलाधिकारी,
<u>रायबरेली।</u>
महोदय,

कृपया जनसुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्राप्त संदर्भ श्री महेश निवासी कोरवा मजरे मानीखेड़ा परगना सरेनी तहसील लालगंज जनपद रायबरेली की जांच तहसीलदार लालगंज से करायी गयी।

तहसीलदार लालगंज की जांच आख्यानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आवेदक के सम्बन्ध में ग्राम में जानकारी की गयी तथा ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति निवास नहीं करता है तत्पश्चात प्रार्थना पत्र में अंकित दूरभाष से कई बार सम्पर्क करने पर मोबाइल स्विच आफ बता रहा है। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित नारायण ब्रिक फील्ड विगत कई वर्षों से संचालित है तथा उपरोक्त भट्ठा ग्राम कटिखेड़ा में स्थित है एवं रामगंगा महाविद्यालय भट्ठे के कैम्पस में तथा प्राथमिक विद्यालय कोरवा भट्ठे से लगभग 300मीटर दूरी पर स्थित है। आख्या में यह भी वर्णित किया गया है कि ए0एन0एम0सेंटर भट्ठे से 350मी0(लगभग)दूरी पर तथा ग्राम हरिसिंहपुरखेड़ा की आबादी लगभग 500मीटर दूर स्थित है एवं भट्ठा पी0डब्लू0डी0रोड से लगभग 50मीटर दूरी पर स्थित है। अतः तहसीलदार लालगंज द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुक्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

(विजय कुमार)
उपजिलाधिकारी लालगंज,
रायबरेली।

कार्यालय उपजिलाधिकारी लालगंज रायबरेली।

संख्या 1378 / एसटी–एसडीएग–जांच / 2022 दिनांकः– 18 अक्टूबर, 2022

जिलाधिकारी,

रायबरेली।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र संख्या 522 / N–8 / 8 / R / 22–23 दिनांक 22.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350 / 2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश के अनुक्रम में तहसील लालगंज क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड द्वारा श्री आकाश बाजपेयी पुत्र सन्तोष बाजपेयी ग्राम कोरवां, पोस्ट बिठूली, भोजपुर, तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत बंदी आदेश के अनुपालन में एवं ईंट उद्योग के विरूद्ध मा0 अधिकरण में योजित वाद के विचाराधीन होने के दृष्टिगत ईंट उद्योग का संचालन निषेधित होने का सत्यापन करने व लगातार सतर्क दृष्टि रखने एवं फोटोग्राफ सहित आख्या शीघ्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच तहसीलदार लालगंज से करायी गयी, जिनकी जांच आख्या मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है। तहसीलदार लालगंज की जांच आख्यानुसार नायब तहसीलदार लालगंज द्वारा दिनांक 28.09.2022 को मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र संतोष बाजपेई ग्राम कोरवां पोस्ट बिठूली भोजपुर तहसील लालगंज, जनपद रायबरेली का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के समय श्री शांत कुमार (मुंशी) उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे एवं निरीक्षण के समय ईंट उद्योग बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत वन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन में बंद पाया गया। आख्या के साथ फोटोग्राफ संलग्न है। अतः आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(अजीत प्रताप सिंह)
उपजिलाधिकारी लालगंज,
रायबरेली।

S.D.M लालगंज
कृपया सुरक्षित रखें

कृते जिलाधिकारी
रायबरेली
18/10/22

R.O. प्रदूषण

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
रायबरेली
21-10-22

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
लालगंज, रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 16.08.2022 को पारित आदेश के क्रम में आपके कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 28.09.2022 को मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई ग्राम कोरवा पो0 बिठूली भोजपुर तहसील लालगंज जनपद रायबरेली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री शांत कुमार (मुंशी) उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईंट उद्योग बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन में बंद पाया गया।

अतः मैसर्स नारायण ब्रिक फिल्ड के सम्बंध में जांच आख्या मय फोटोग्राफ सहित सादर प्रेषित है।

No. 2241
17/10/2022
महोदय, मा० हरित न्यायालय संस्तुति सहित प्रेषित

नायब तहसीलदार
लालगंज–रायबरेली

Tahsil
07/10/22

Dairy No. 696
File No.
Letter Sl. No. 14/10/22
Checked By

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदया,
रायबरेली।

विषय :— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० स०–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 16.08.2022 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कोरवां पोस्ट बिठूली भोजपुर तहसील लालगंज जिला रायबरेली के विरूद्ध माननीय हरित राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में योजित वाद में पारित आदेश के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 491/N–8/G/R/2022–23 दिनांक 09.09.2022 एवं श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के पत्रांक सं0 514/M–8 G/R/2022–23 दिनांक 19.09.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध प्रेषित शिकायत तथा जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराई गयी, तत्कम में प्रार्थी ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित समस्त संलग्नकों सहित अपना प्रत्यावेदन श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, को उनके ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर भेज दिया है।

अतः महोदया से सादर निवेदन है कि प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

महान दया होगी अद्योहस्ताक्षरी सदैव आपका ऋणी रहेगा।

सादर!

प्रार्थी,

(आकाश कुमार बाजपेई)
पुत्र स्व0 संतोष कुमार बाजपेई
निवासी–भोजपुर रायबरेली
Mob No. 9839483129

क्षे० अ० प्र० नि० बोर्ड रायबरेली
कृ० नि० क्षे० का०

दिनांक :— 07/X/2022
जिलाधिकारी
रायबरेली

सेवा में,

श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय,
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० स०–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में दिनांक 16.08.2022 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कोरवां पोस्ट बिठूली भोजपुर तहसील लालगंज जिला रायबरेली के विरूद्ध माननीय हरित राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए० सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में योजित वाद में पारित आदेश के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 491/N–8/G/R/2022–23 दिनांक 09.09.2022 एवं जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के पत्रांक सं0 514/M–8 G/R/2022–23 दिनांक 19.09.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध प्रेषित शिकायत तथा जांच आख्या की प्रति प्राप्त कराई गयी, तत्कम में शिकायत में उल्लिखित बिन्दुओं के बारे में मेरा निम्न कथन है –

1– ईंट भट्ठे की स्थापना मेरे पिताजी श्री संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा वर्ष 1998–99 में की गयी थी, उस समय ईंट भट्ठे की स्थापना हेतु जिला पंचायत की उप विधियों के अनुरूप ईंट भट्ठे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था, जिसके अनुसार किसी ईंट उद्योग की स्थापना आबादी क्षेत्र से दो सौ मीटर की दूरी के अन्दर नही किया जायेगा। ग्राम कोरवां व हरिकिशुन खेड़ा गांव की दूरी मेरे भट्ठे से 500 मीटर से अधिक है। शिकायतकर्ता द्वारा उ0प्र0 पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55–पर्या0/12–94(पर्या0)/11 लखनऊ दिनांक 27 जून 2012 को जारी शासनादेश का उल्लेख किया गया है। जबकि मेरे भट्ठे की स्थापना पुरानी नियमावली के

अनुसार की गयी है। चूंकि इस भट्ठे का निर्माण 1998–99 में किया गया था तथा पुराना है। अतः इस भट्ठे में किसी प्रकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भविष्य में आप द्वारा दिये गये नियमों का पालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा। शिकायतकर्ता का उक्त आरोप पूर्णतया निराधार है।

2– वर्ष 1998–99 के जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप भट्ठे की स्थापना की गयी थी। स्थापना वर्ष के समय चिकित्सालय की दूरी जिला पंचायती नियमानुसार 200 मीटर के अंदर होनी चाहिए थी, उसी दिशा निर्देश के आधार पर भट्ठे की स्थापना की गई है। जिसमें कि इस ईट भट्ठे की स्थापना हेतु पर्यावरण विभाग 27 जून 2012 के नये निर्देश प्रभावी नही होते है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की दूरी 200 मीटर से अधिक है। इस ईंट भट्ठे के पास स्थापित रामगंगा महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी थी जबकि भट्ठे की स्थापना वर्ष 1998–99 उक्त स्थान पर संचालित है।

3– वर्ष 1998–99 के जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप भट्ठे की स्थापना की गयी थी, अतः 100 मीटर की दूरी के अन्दर का नियम लागू नही होता है।

4– ईंट भट्ठे के आस पास 800 मीटर की दूरी तक कोई भी फलदार एक एकड़ का बगीचा नही है। जिसमें 100 फलदार वृक्ष हों।

5– ईंट भट्ठे के आस पास धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए एक दीवार का निर्माण किया गया था। जिसकी मरम्मत का कार्य ईंट भट्ठा संचालन के उपरांत करा लिया जायेगा।

6– ईंट भट्ठे में पथाई का कार्य बन्द है, क्योंकि अधोहस्ताक्षरी के पिता श्री संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा पूर्व मे भट्ठे का संचालन किया जा रहा था संचालन कर्ता श्री संतोष कुमार बाजपेयी की लंम्बी बीमारी व दिनांक 10.09.2020 में

क्रमशः————3—

उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वर्ष 2014 से भट्ठे का संचालन नही किया जा सका, अतः पथाई का कार्य बंद था। (पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है)।

अतः महोदय पुनः निवेदन है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में दिये गये तथ्य नई गाइडलाइन के अनुसार है, जबक भट्ठा काफी पुराना है। अतः उपरोक्त बिन्दुओ पर उ०प्र० शासन पर्यावरण अनुभाग संख्या 921/55–पर्या0/12–94 (पर्या0)/11 लखनऊ दिनांक 27 जून 2012 को जारी शासनादेश प्रभावी नही होगें।

अग्रहर अद्योहस्ताक्षरी वर्णित ईंट भट्ठे का संचालन हेतु समस्त नियमों का अनुपालन करने हेतु बाध्यकारी रहेगा सूचनार्थ एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

महान दया होगी अद्योहस्ताक्षरी सदैव आपका ऋणी रहेगा।

सादर!

प्रार्थी,

दिनांक :– 07/10/22

(आकाश कुमार बाजपेई)
पुत्र स्व0 संतोष कुमार बाजपेई
निवासी–भोजपुर रायबरेली

6.

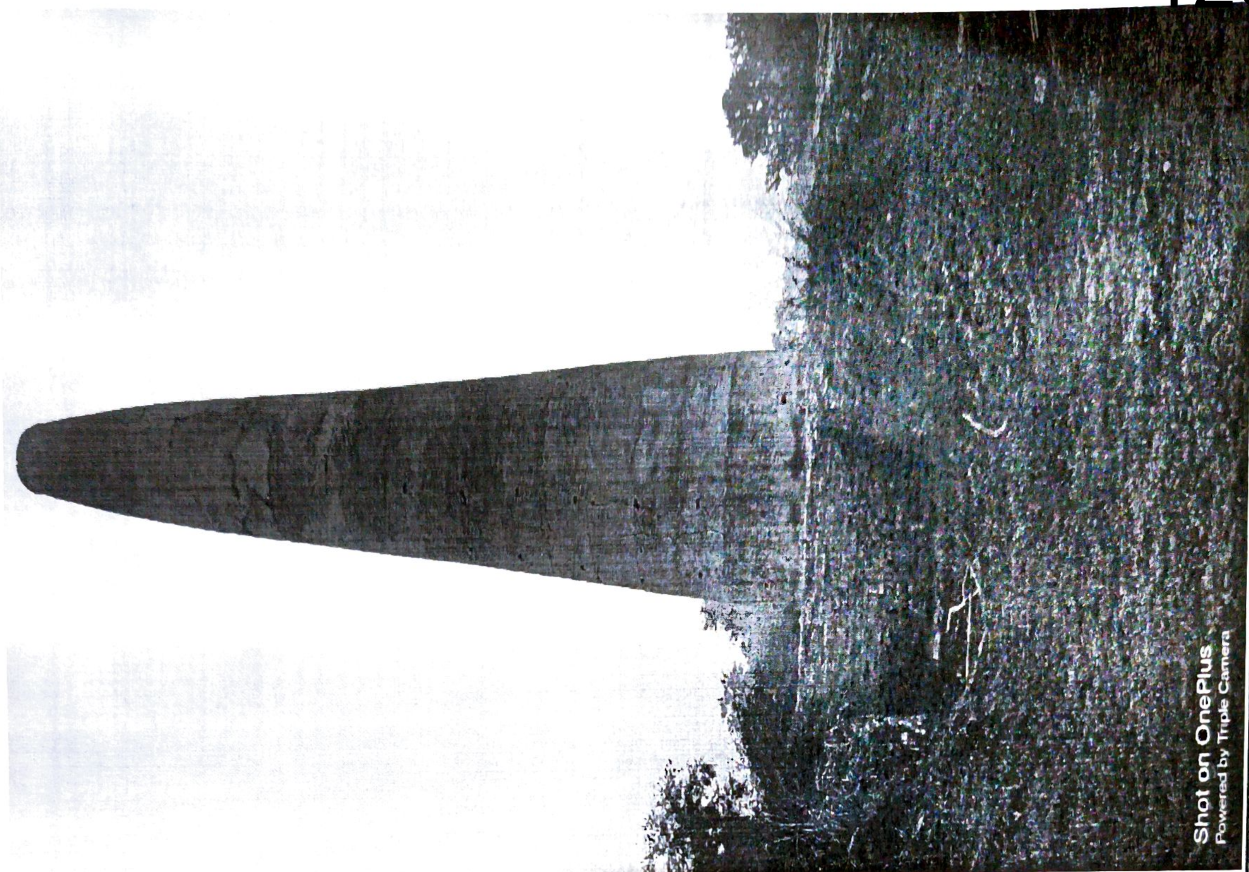
Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

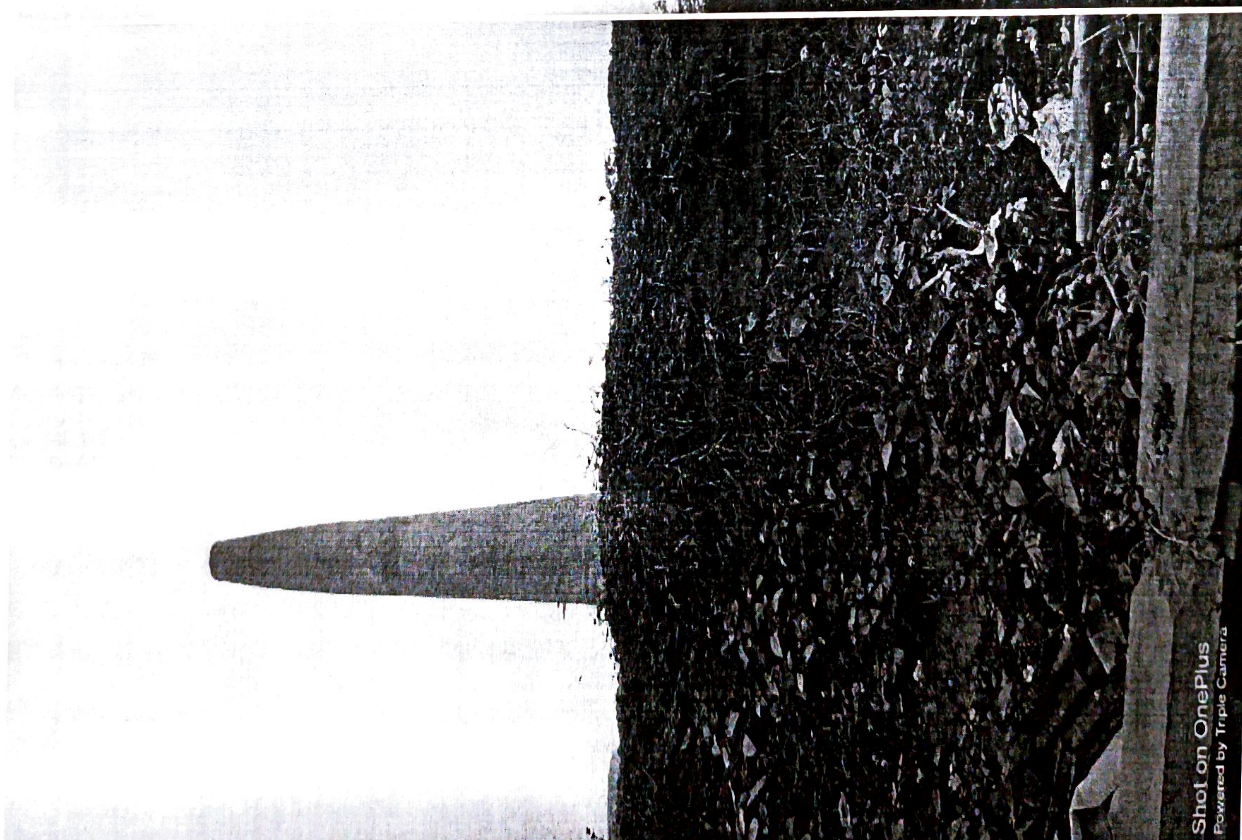
Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या– 594/N-8/G/A/2022-23 दिनांक– 21/10/22

सेवा में,

1. उप जिलाधिकारी,
   तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।
2. श्री सुभाष चन्द्र यादव,
   अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, जनपद–रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी,
   उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली।
4. जिला खान अधिकारी, रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63463/सी–5/सा0–546/21/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। जो वर्तमान में प्रभावी है। ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है। उक्त वाद में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश जिसके मुख्य अंश निम्नवत हैं–

5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023.

अतः मा0 अधिकरण द्वारा वाद में पारित आदेश के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि पारित आदेश के अनुपालन में आख्या अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

20/10

(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः–अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20

जिलाधिकारी, रायबरेली

20/10/22

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक- 526/N-42/R/2022-23 दिनांक- 26/9/22

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामगंगा महाविद्यालय,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।

विषय–पूर्व से संचालित ईंट भट्ठे के समीप महाविद्यालय का निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आप द्वारा रामगंगा महा विद्यालय, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली का निर्माण कार्य पूर्व में स्थापित/संचालित मैसर्स नारायण ईंट उद्योग, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली से लगभग 50 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। उक्त विद्यालय भवन के निर्माण हेतु इस कार्यालय से आप द्वारा अनापत्ति/सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया न ही कोई सूचना इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। ईंट उद्योग के समीप महाविद्यालय के निर्माण से ईंट उद्योग के संचालन के समय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं व शिक्षकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित है।

अवगत हों कि आपके नवनिर्मित महा विद्यालय के समीप पूर्व से ही मैसर्स नारायण ईंट उद्योग स्थापित है, जिसकी स्थापना कार्यालय अभिलेखानुसार वर्ष–1998–99 में की गयी थी। ईंट उद्योग के विरूद्ध वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 योजित है। ईंट उद्योग की स्थापना के समय प्रचलित जिला पंचायत की उपविधियों के अनुसार आबादी, सार्वजनिक इमारत, विद्यालय, अस्पताल आदि से 200 मीटर की दूरी के अन्दर ईंट भट्ठे की स्थापना व संचालन किया जाना निषेधित है तथा वर्तमान में प्रभावी नियमावली के अनुसार कोई ईंट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल, सार्वजनिक इमारत आदि से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। ईंट भट्ठे के समीप विद्यालय के निर्माण से ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 अधिकरण में योजित याचिका में ईंट भट्ठे के साथ–साथ आपके विरूद्ध भी प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ईंट उद्योग के समीप महाविद्यालय का निर्माण किन परिस्थितियों में तथा किन–किन विभागों की अनुमति के आधार पर किया गया के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

28/09/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
4. उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।

(1577)
RO Pollution
तत्काल कार्यवाही + आयोग को जवाब प्रस्तुत

क्षेत्रीय अधिकारी
24/09/22

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
रायबरेली
27.9.22

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 480/H-42/R/2022-23 दिनांक– 07.9.2022

सेवा में,

मै0 नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष वाजपेई,
ग्राम कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तहसील–लालगंज, रायबरेली।

विषय–ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में दिनांक 19.05.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें। आपके ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में दिनांक 19.05.2022 में पारित आदेश के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ईंट भट्ठे की स्थापना व संचालन के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2022 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा–6 एवं धारा–25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 का और संशोधन करते हुए ईंट भट्ठों की स्थापना/संचालन/विद्यमान ईंट भट्ठों के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए गए हैं:–

1. विद्यमान ईंट भट्ठे जो जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहें है, उन्हें (क) गैर–प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्ठों के मामले में एक वर्ष (जैसा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग ईंट बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहाँ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने रूपान्तरण के लिए अलग से समय–सीमाएँ निर्धारित की हैं, वहाँ ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।
2. सभी ईंट भट्ठे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे की पाइप्ड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टों का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईंट भट्ठों को नहीं दी जाएगी।

3. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा के अनुसार ईंट भट्ठे के स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।
4. ईट भट्ठों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रकिया/पलायक धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
5. ईट भट्ठों से निकलने वाली राख को ईंट बनाने में उसी परिसर के अन्दर ही इस्तेमाल किया जाएगा।
6. ईट भट्ठे में ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएगें।
7. ईट भट्ठा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़के हैं।
8. कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित निर्देशों के संबंध में बिन्दुवार अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध किसी भी कृत कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदया, जनपद रायबरेली।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 492/N-8/G/R/2022-23 दिनांक– 09.9.2022

अति महत्वपूर्ण,
मा0 न्यायालय प्रकरण,

सेवा में,

1. उपायुक्त राज्य कर (खण्ड–2), जनपद–रायबरेली।
2. जिला खान अधिकारी, जिला खनिज कार्यालय, कलेक्ट्रेट, जनपद–रायबरेली।
3. जिला पंचायत अधिकारी, जनपद–रायबरेली।

विषय– मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि सन्दर्भित ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है। इस कार्यालय के अभिलेखानुसार उक्त ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ईंट उद्योग द्वारा इस कार्यालय से सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। इस कार्यालय द्वारा दिनांक–28.05.2022 एवं दिनांक–18.06.2022 को किए गए निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया।

तत्सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अभिलेखानुसार वर्ष–2015 से 2022 के मध्य ईंट भट्ठा मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–विठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के संचालन के सम्बन्ध में स्थिति 03 दिनों के अन्दर स्पष्ट करने का कष्ट करें। जिससे ईंट भट्ठे के विरूद्ध इस कार्यालय स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
09/09/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c 09/09/22

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 491/N-8/G/R/2022-23 दिनांक– 09-9-2022

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–16.08.2022 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"..................Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF......."

कृपया अवगत हों कि इस कार्यालय के अभिलेखानुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा इस कार्यालय से सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मा0 अधिकरण में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण को प्रेषित आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में तथा पूर्व के वर्षों वर्ष–2015 से 2021 तक संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
09/09/22

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी 09/09/22

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या- 514/म-810/R/2022-23 दिनांक- 19/9/22

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश ~~जिसका~~ का सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"..................Notice alongwith copies of the application and report of the Joint Committee be issued to the Project Proponent- Narayan Brick kiln through Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee, village Korba Block and Police Station Sareni, Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, State PCB and District Magistrate, Rae Bareli requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 10.10.2022.

6. Notice be served on the Project Proponent through District Magistrate, Raebareli and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Raebareli by E-mail for getting service of the same effected on the Project Proponent and sending his report in this regard.........."

कृपया अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली की आख्या दिनांक–09.09.2022 के अनुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–16.08.2022 के अनुपालन में मा0 अधिकरण में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 माह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई–मेल–judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
2. उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
4. जिला खान अधिकारी, जनपद–रायबरेली।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला–पंचायत, जनपद–रायबरेली।

जिलाधिकारी, रायबरेली

Scanned with ...

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या- 522/N-8/G/R/2022-23 दिनांक- 22/9/22

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–16.08.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके तहसील में स्थापित मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई, ग्राम–कोरवा, पो0–विदूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63463/सी–5/सा0–546/21/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। जो वर्तमान में प्रभावी है। ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से वाद योजित है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन में एवं ईंट उद्योग के विरूद्ध मा0 अधिकरण में योजित वाद के विचाराधीन होने के दृष्टिगत ईंट उद्योग का संचालन निषेधित होने ~~का~~ का सत्यापन करने व लगातार सतर्क दृष्टि रखना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रश्नगत वाद में शिकायतकर्ता श्री महेश कुमार के प्रार्थना पत्र दिनांक–21.03.2022 व संयुक्त जांच आख्या दिनांक–28.06.2022 के आलोक में बिन्दुवार आख्या, फोटोग्राफ्स सहित शीघ्र प्रस्तुत करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ईंट भट्ठे के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
3. जिला खान अधिकारी, जनपद–रायबरेली।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला–पंचायत, जनपद–रायबरेली।
5. थानाध्यक्ष सरेनी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली को इस निर्देश के साथ कि सन्दर्भित ईंट उद्योग का निषेधित कराते हुए सतत निगरानी की जाय।

जिलाधिकारी, रायबरेली

O/C
23/09/22

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या- 595/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक- 21/10/22

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश वाजपेई पुत्र श्री संतोष वाजपेई,
ग्राम-कोरया, पो0-सिवूली, भोजपुर,
तह0-लालगंज, जनपद- रायबरेली।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईट उद्योग के विरुद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या-350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

5. In view of above, notice be issued again to the *Project Proponent* requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023. ...."

उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली की आख्या दिनांक-09.09.2022 के अनुसार आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक-31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक-16.08.2022 के अनुपालनार्थ आपको पत्र संख्या-514/एन-8/जी/आर/2022-23 दिनांक-19.09.2022 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण दिनांक-10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए विन्दुओं के सम्वन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई-मेल-judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
20/10/22
(माला श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी, रायबरेली

प्रतिलिपिः- निम्न लिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद-रायबरेली।
2. उप जिलाधिकारी, तह0-लालगंज, जनपद-रायबरेली।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली
4. जिला खान अधिकारी, जनपद-रायबरेली।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला-पंचायत, जनपद-रायबरेली।

20/10/22
जिलाधिकारी, रायबरेली

DC 20/10/22

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक–594/N-8/G/2022-23 दिनांक–28/10/22

सेवा में,

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
द्वारा श्री आकाश बाजपेई पुत्र श्री संतोष बाजपेई,
ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर,
तह0–लालगंज, जनपद– रायबरेली।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईंट उद्योग के विरूद्ध मानकों के विपरीत स्थापना/संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के माध्यम से योजित वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

5. In view of above, notice be issued again to the Project Proponent requiring him to file his response/reply to the averments made in the application/observations made in the report of the Joint Committee within two month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF and copies of the notice be sent to the District Magistrate, Rae Bareli and Regional Officer, UPPCB who are directed to serve the same on the project proponent and file their reports in this regard within three weeks from today. It is clarified that in case of their failure to do so, heavy costs may be imposed on them for non compliance with this order.

6. List for further consideration on 30.01.2023. ...."

उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में अवगत हों कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसारं आपके ईंट उद्योग को पूर्व में दिनांक–31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही संचालन हेतु सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात आप द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी। ईंट उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश भी निर्गत है। प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक–16.08.2022 के अनुपालनार्थ आपको पत्र संख्या–491/एन–8/जी/आर/2022–23 दिनांक–09.09.2022 द्वारा भी निर्देशित किया जा चुका है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण दिनांक–10.10.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रेषित आवेदन की प्रति, संयुक्त कमेटी की जांच आख्या आदि पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ पुनः प्रेषित की जा रही हैं कि मा0 अधिकरण में प्रेषित श्री महेश कुमार का आवेदन एवं संयुक्त कमेटी की जांच आख्या में दिए बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई–मेल–judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
/
(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद–रायबरेली
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), जनपद–रायबरेली।

क्षेत्रीय अधिकारी
28/10/22

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

137

Ref. No H 63463/सी–5/सा0–546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 *Date 15.07.2021*

पंजीकृत

Narayan Brick Field,
Vill. Korwa, Bithouli, Bhojpur, Tehsil Lalganj, Raebareli.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रायबरेली की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रायबरेली में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H19656 / सी–5 / ईट–17 / 18 — दिनांक 10-5-18

पंजीकृत

Entry No. 272
File No.
11-5-18
Checked By

सेवा में,

मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड,
ग्राम–कोरवा, बिठौली, भोजपुर, लालगंज,
रायबरेली।

यह कि मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, बिठौली, भोजपुर, लालगंज, रायबरेली जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, बिठौली, भोजपुर, लालगंज, रायबरेली का निरीक्षण बोर्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.05.2018 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ईंट उद्योग लगभग 25,000 ईंट / दिन क्षमता का है जिसमें ईंधन के रूप में कोयला एवं लकड़ी लगभग 3.5 टन / दिन का प्रयोग होता है। ईट भट्ठे के संचालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15.01.2016 के अनुपालन में माईनर मिनरल्स के खनन हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नही की गयी है तथा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत वायु सहमति प्राप्त किये बिना ही ईट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है।

यह कि ईट भट्ठा संचालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15.01.2016 के अनुपालन में माईनर मिनरल्स के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या 1440 / ईंट भट्ठा / 17–18 दिनांक 15.02.2018 द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.इं.आई.ए.ए.) से पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के संबंध में ईंट भट्ठे को नोटिस भी प्रेषित किया गया है तथा दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 28.03.2018 को जनसूचना भी प्रकाशित करायी गयी है, जिसका कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा– 31 'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, बिठौली, भोजपुर, लालगंज, रायबरेली का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि क्यो न मेसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, बिठौली, भोजपुर, लालगंज, रायबरेली को मिलने वाली बिजली, पानी अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।

......2

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रायबरेली ।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रायबरेली ।
3. जिला खनन अधिकारी, रायबरेली ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित की उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी ईंट भट्ठे को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5